राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18168/2024

रेहाना पुत्री श्री शरीफ मोहम्मद, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी चर्च रोड (दारजी मोहल्ला), तहसील ताड़गढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. उप शासन सचिव (प्र-2), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।

---प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री एम.एस. शेखावत।
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री आई.आर. चौधरी, एएजी श्री के.एस. सोलंकी के साथ।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>06/11/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 14.09.2023 (अनुलग्नक 10) के आदेश के विरुद्ध है, जिसके अनुसार एलडीसी के पद के लिए दिनांक 25.03.2013 के विज्ञापन के अनुसरण में आवश्यक कंप्यूटर योग्यता न होने के आधार पर उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया था।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 याचिकाकर्ता ओबीसी श्रेणी से संबंधित है और तलाकशुदा है। प्रतिवादियों ने एलडीसी के पद के लिए दिनांक 25.03.2013 को विज्ञापन जारी किया। अपेक्षित योग्यता रखने वाली याचिकाकर्ता ने 17.04.2013 को इसके लिए आवेदन किया। तत्पश्चात, विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार कम्प्यूटर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए, उसने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में प्रवेश लिया तथा दिनांक 24.07.2014 को प्रमाण-पत्र प्राप्त किया।

2.2 तत्पश्चात दिनांक 07.08.2023 को प्रतिवादियों द्वारा तीसरी अनंतिम मेरिट सूची जारी की गई, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रमांक 352 पर है तथा कुल अंक 25.956 प्राप्त हुए हैं। उसी दिन अर्थात् दिनांक 07.08.2023 को प्रतिवादीगण ने आपत्तियां आमंत्रित करते हुए एक प्रेस-नोट जारी किया तथा तत्पश्चात दिनांक 17.08.2023 को अभ्यर्थियों को दिनांक 21.08.2023 को आवश्यक दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन

(Downloaded on 27/05/2025 at 04:58:17 PM)

के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हुआ। हालांकि, 14.09.2023 के आदेश (अनुलग्नक 10) के तहत याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी एलडीसी के पद के लिए 25.03.2013 के विज्ञापन के अनुसार आवश्यक कंप्यूटर योग्यता न होने के आधार पर खारिज कर दी गई थी। इसलिए, यह याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

4. यह सामान्य नियम है कि मैच शुरू होने के बाद खेल के नियमों को नहीं बदला जा सकता है।

5. माना कि वर्तमान मामले में, कंप्यूटर में डिप्लोमा की अपेक्षित योग्यता रखने के लिए कट-ऑफ तिथि 30.06.2013 थी और याचिकाकर्ता का डिप्लोमा प्रमाण पत्र 24.07.2014 दिनांकित है, जो कट-ऑफ तिथि के बाद है। इस आधार पर, याचिकाकर्ता को उक्त योग्यता का लाभ नहीं दिया जा सकता है, जो उसने कट-ऑफ तिथि के बाद हासिल की थी। इसके बाद, 28.03.2013 (अनुलग्नक 4) में विज्ञापन में संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि जिस उम्मीदवार के पास अपेक्षित डिप्लोमा प्रमाण पत्र है, वह दस्तावेज सत्यापन के समय उसे प्रस्तुत कर सकता है। उक्त संशोधन कट-ऑफ तिथि को आगे नहीं बढ़ाता है। यह केवल उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि यह कट-ऑफ तिथि से पहले हो।

6. परिणामस्वरूप, याचिका पूरी तरह से गलत है और तदनुसार खारिज की जाती है।

7. लंबित आवेदन का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

64-आरमाथुर/-

क्या प्रकाशन हेतु उपयुक्त - हाँ / नहीं।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़

(Downloaded on 27/05/2025 at 04:58:17 PM)